28/12/17

परिवादी बाबूसिंह सहित अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला। अभियुक्त आर०के० गुप्ता सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता। प्रकरण बचाव साक्ष्य/अंतिम तर्क हेतु नियत है।


फरियादी बाबूसिंह की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन नत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर एवं अधिवक्तागण द्वारा महचान युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री शुक्ला एव अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री गुप्ता द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ—लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 294, 323 ,506 भाग—2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार

किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।



Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of Presiding One

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाती है। अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 भाग—2 भा0द0वि0 के अपराध आरोपा से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त आर0के0 गुप्ता की दोषमुक्ति होगा।

अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते है। शेष अभियुक्तगण के संबंध में पूर्व में राजीनामा हो जाने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं।

प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति नही है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Cupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)